

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

बैचलर ऑफ आप्टोमेट्री (बी०आप्टम)
प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के नियम, मानक एवं प्रक्रिया

विवरणिका



स्थापित - 1926

(उ०प्र० सरकार द्वारा स्थापित)

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ
दादा मियां की मजार के पास

फोन : 0522-2238846, 3302100 फैक्स : 0522-2236600

ई-मेल : inspection@upsmfac.org

वेबसाइट : www.upsmfac.org

बैचलर ऑफ आप्टोमेट्री (बी0आप्टम)

आप्टोमेट्री में डिग्री के चार वर्ष के कोर्स के साथ आर्थाप्टिक्स का भी कोर्स कराया जायेगा। अस्पताल में एक अलग हिस्से में विभाग स्थापित किया जाय।

इस हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं। स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री का वर्तमान डिप्लोमा स्तरीय प्रशिक्षण पिछले 50 वर्षों से फैकल्टी द्वारा चलाया जा रहा है। मानक क अनुसार 10,000 आबादी के विरुद्ध एक आप्टोमेट्रिस्ट होना आवश्यक है लेकिन इस मानक से उपलब्धता काफी कम है। यह देखते हुए कि, इस विषय से संबंधी चश्में आदि की दुकानों में कार्य करने हेतु व नेत्र रोग विशेषज्ञ की सहायता हेतु इनकी माँग काफी है। इसके साथ ही साथ नेत्र रोगों के निदान व इलाज में बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। नये-नये औजार व मशीनें उपलब्ध हैं।

नेत्र शल्य चिकित्सा में भी आशातीत उन्नति हुई है। एक ही दिन में नेत्र रोग का मरीज शल्य चिकित्सा करवाकर घर वापस लौट सकता है, इस तरह की स्थिति में आप्टोमेट्रिस्ट का काय कई गुना बढ़ जाता है। उसके साथ ही, बढ़ता है प्रशिक्षण केन्द्रों का कार्य। डिग्री कोर्स प्रारम्भ करके नये समीचीन विषय जोड़े जा रहे हैं। नये औजारों मशीनों की जानकारी संबंधी विषय जोड़े जा रहे हैं।

बैचलर इन आप्टोमेट्री का कोर्स 3 वर्ष का है। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को इस विषय से संबंधित विशेष व मानव शरीर से संबंधित सभी विषयों में सामान्य सैद्धान्तिक व प्रायोगिक (Theoretical & Practical) ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा। इन छात्रों से अपेक्षित होगा कि वे 3 वर्ष के अन्त तक इतना ज्ञानार्जन कर लें कि नेत्र रोगों के निदान, दृष्टि व आपरेशन आदि में अपना सक्रिय योगदान कर सकें जिससे कि नेत्र रोग विशेषज्ञ के कार्य करने में गुणात्मक सुधार हो सके। इन्हें आधुनिकतम उपलब्ध मशीनों की भी जानकारी प्रदान कराई जायेगी। जिसमें कि वे अपने ज्ञान अनुभव व मशीनों के सहयोग से मरीजों को लाभ पहुँचायेंगे।

3 वर्ष के प्रशिक्षण के उपरान्त छात्रों को 12 माह की इन्टर्नशिप करवाई जायेगी, जिससे कि स्वतंत्र रूप से ज्ञान व अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण को ग्रहण कर सकें।

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम से सम्बन्धित नीति—

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन का दायित्व उ0प्र0 शासन द्वारा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी को सौंपा गया है।

उ0प्र0 शासन के आदेशों एवं उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समिति के निर्णयों के आधार पर स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को खोलने हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है। आवश्यकता पड़ने पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

1. सभी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम चार वर्ष की अवधि तक के हो सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों का वास्तविक नामकरण तथा अवधि का निर्धारण यू.जी.सी एवं संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जायेगा। लिखित एवं प्रायोगिक विषयों में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष में एक बार अगस्त में परीक्षा सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। अन्तिम परीक्षा पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने पर ली जाना प्रस्तावित है।

2. प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थी को 12 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण इन्टर्नशिप प्राप्त करना होगा, अपने प्रशिक्षण केन्द्र अथवा अन्य मान्यता प्राप्त केन्द्र में किया जा सकता है। जिसके उपरान्त वह किसी चिकित्सक के निर्देशन में अपने विषय से संबंधित कार्य करने हेतु सक्षम होगा।

3. इन्टर्नशिप करने के पश्चात् रजिस्ट्रेशन उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा किया जायेगा।

4. नर्सिंग एवं फार्मसी के डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये 'इण्डियन नर्सिंग कौंसिल' एवं 'फार्मसी कौंसिल आफ इण्डिया', नई दिल्ली के मानक एवं अन्य नीति/नियम प्रभावी होंगे। इन दोनों विषयों से संबंधित

अग्रिम कार्यवाही उ0प्र0 शासन के अनापत्ति निर्गत करने के बाद इन केन्द्रीय कौंसिलों द्वारा की जायेगी। आधारभूत सुविधाएं मंत्री परिषद् के निर्णयानुसार होगी।

5. शेष पाठ्यक्रमों के लिये समस्त कार्यवाही के लिये उ0प0 शासन द्वारा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी को अधिकृत किया गया है। उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समिति समय-समय पर तत्संबंधी निर्णय लेगी।

6. पाठ्यक्रम चलाने हेतु आवेदक संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट अथवा कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए अथवा पूर्व से निजी क्षेत्र में संचालित मेडिकल/डेंटल/नर्सिंग होम/अस्पताल जिसे राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त हो। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जिससे कि पाठ्यक्रम चलाने हेतु सक्षम हो।

1. संस्था के पास स्वयं की भूमि हो, जो कि न्यूनतम – नगरीय क्षेत्र में एक एकड़ अथवा 4000 वर्ग मीटर अथवा 43040 वर्ग फुट हो एवं
2. ग्रामीण क्षेत्र में दो एकड़ अथवा 8000 वर्ग मीटर अथवा 86080 वर्ग फुट हो
3. आवेदक के नाम पर हो।
4. इसी भूमि पर आगे दिये गये मानकों के अनुसार भवन एवं पाठ्यक्रम से संबंधित सभी सुविधायें उपलब्ध हो।
8. एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाने हेतु इतनी ही भूमि की आवश्यकता होगी किन्तु प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर (प्रत्येक अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु 200 वर्ग मीटर का अतिरिक्त भवन हो). नर्सिंग व फार्मसी के मानक संबंधित काउंसिल के होंगे। आवश्यक सुविधायें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।
9. संस्थान के पास छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण देने हेतु स्वयं के स्वामित्व एवं प्रबन्धन का न्यूनतम 100 बेड का बहुविशेषज्ञता का अस्पताल होना आवश्यक है। कुछ विषयों में इनडोर मरीजों के भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु उन विषयों में छात्रों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मरीजों से संबंधित अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी। जैसे कि पैथालोजी एवं रेडियोलोजी में मरीजों पर की जाने वाली जाँचें।
10. संस्था पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु संबंधित विषय में स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षक/प्रशिक्षक उपलब्ध करायेगी।
11. सीटों की संख्या सामान्यतः एक पूर्ण रूप से सुसज्जित व मानकों को पूर्ण करने वाले केन्द्र को 40 छात्र प्रतिवर्ष क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है। फिर भी आवेदक यदि इससे कम के लिये आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं।

अलग-अलग स्तरों पर लिया जाने वाला शुल्क (नान रिफण्डेबल)

कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। उचित होगा कि मानकों का अध्ययन भली-भांति कर लें और यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें कि आपके पास मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं।

₹ 2,50,000/- (18% GST के साथ) आवेदन-पत्र/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क
आन-लाईन www.upsmfac.org पर उपलब्ध।

(₹ 2,50,000/- (18% GST के साथ) का शुल्क आन-लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

समस्त शुल्क कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर आन लाईन जमा किया जा सकता है।

राजकीय कोषागार (ट्रेजरी) में रु. 25,000/- जमा करने का हेड :

राजकीय कोषागार में हेड संख्या

0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 800

अन्य प्राप्तियाँ

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले संलग्नक –

फोटोग्राफ :

1. टीचिंग ब्लाक के सामने का, भवन के पीछे का, कक्षाओं की आन्तरिक, प्रधानाचार्य कक्ष, लाइब्रेरी, रिशेप्शन, प्रयोगशालाओं इत्यादि के फोटोग्राफ।
2. अस्पताल के सामने का, पीछे का एवं आन्तरिक विभागों का, उपकरण/उपस्कर इत्यादि को दिखाते हुये फोटोग्राफ।
3. सम्बन्धित प्रशिक्षण की विशेषज्ञता की उपलब्ध सुविधाओं को दिखलाते हुये अस्पताल के आन्तरिक फोटोग्राफ।

दस्तावेज :

4. संस्था (सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी) का अद्यतन रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
5. संस्था के बाइलाज/मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन
6. प्रश्नगत पाठ्यक्रम का केन्द्र खोलने हेतु सोसा0/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव की प्रति।
7. संस्था की बैलेन्सशीट (पिछले 2 वर्षों की)
8. प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि (टीचिंग ब्लाक) एवं चिकित्सालय की भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण-पत्र/प्रपत्र (संस्था का ही हो) जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक द्वारा सत्यापित विलेख की प्रति, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अर्न्तगत भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
9. टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय का प्रमाणित मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट)।
10. चिकित्सालय का ऑनलाईन पद्धति वाला पंजीयन प्रमाण-पत्र जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
11. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी0सी0बी0) का प्रमाण-पत्र जिसमें बेड संख्या एवं वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
12. अग्नि शमन प्रमाण-पत्र (टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय) दोनों का ऑनलाईन पद्धति वाला स्थायी (पूर्णता कम्प्लीशन) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
13. डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु संस्था द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ का सहमति-पत्र (Letter of Intent) प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
14. शपथ पत्र/वचन पत्र को रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर संलग्न करना आवश्यक है।

शपथ-पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

आवेदन पत्र के साथ रूपये 100/-के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र
(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

सचिव,

उ0प0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,

लखनऊ।

1. मैं शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी संस्था (संस्था का नाम)
.....प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व पता.....के द्वारा(कोर्स का नाम).....डिग्री पैरामेडिकल क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण उ0प्र0 सरकार की अनुमति के बिना नहीं चलाया जा रहा है।
2. मैं बचन देता हूँ/देती हूँ कि भविष्य में भी उ0प्र0 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा पैरामेडिकल/नर्सिंग के पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रम कोई प्रशिक्षण नहीं चलाऊँगा/चलाऊँगी।
3. यह कि प्रशिक्षण केन्द्र व उससे संबंधित अस्पताल, भूमि का मालिकाना हक मेरी संस्था का ही है। उक्त भूमि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्राधिकरण की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं है और न ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।
4. यह कि उक्त प्रशिक्षण से संबंधित मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/सक्षम न्यायालय अथवा न्यायिक अभिकरण में किसी भी प्रकार का दीवानी/फौजदारी वाद विचाराधीन/लम्बित नहीं है और ना ही किसी प्रकार का स्थगन आदेश ही प्राप्त हुआ है।
5. संस्था क पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हे0 भूमि है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 में उल्लिखित सीमा 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है। (और यदि है तो धारा 89 (3) के अर्न्तगत राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुमति प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।
6. मैं राज्य सरकार व उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों व निर्णयों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि संस्था द्वारा किसी भी दिशा-निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया जाता है/आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख/पत्र फर्जी पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाये।

दिनांक :-

सक्षम प्राधिकारी
संस्था का नाम /पता

निरीक्षण -

प्रथम निरीक्षण : संस्था के द्वारा आवेदन करने के उपरान्त उ0प्र0 शासन द्वारा नामित समिति से संस्था एवं उपलब्ध सुविधाओं का प्रथम निरीक्षण कराया जायेगा। इस निरीक्षण में मुख्यतः विशेष ध्यान दिया जायेगा कि पाठ्यक्रम चलाने हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं कि नहीं। पाठ्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षक/शिक्षक अथवा उपकरण द्वितीय निरीक्षण तक भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्रथम निरीक्षण के समय निरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों का भौतिक सत्यापन।
2. संस्था के पास उपलब्ध भूमि एवं भवन का भौतिक सत्यापन एवं उनके स्वामित्व के विषय में दस्तावेजी सबूतों का निरीक्षण।
3. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ लगाये गये फोटोग्राफों के अनुसार सत्यापन।
4. संस्था के द्वारा प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कराये गये भवन एवं उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण।
5. संस्था के द्वारा ही संचालित अस्पताल की क्लीनिकल सुविधाओं का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन।
6. उपरोक्त के अलावा समिति द्वारा वांछित अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

द्वितीय निरीक्षण : द्वितीय निरीक्षण शासन द्वारा अनापत्ति प्रदान करने के उपरान्त किया जायेगा, शासन से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् फैकल्टी के द्वारा संबंधित संस्थाओं को प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। तत्पश्चात् संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रमों से संबंधित काउंसिलों में पाठ्यक्रम खोलने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही परीक्षा लेने व डिग्री प्राप्त करने हेतु सम्बद्धता लेना आवश्यक है। सम्बद्धता मिलने के उपरान्त ही द्वितीय निरीक्षण कराया जायेगा। उसमें संस्था द्वारा पाठ्यक्रमों से संबंधित मानक के अनुसार निर्धारित समस्त सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा इस स्तर पर यदि सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो संस्था का निरीक्षण पुनः कराया जा सकता है। किसी भी अतिरिक्त निरीक्षण हेतु शुल्क नहीं होगा।

पाठ्यक्रम (Syllabus) -

पाठ्यक्रम सम्बद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। समस्त केन्द्र इन्हीं पाठ्यक्रमों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

पाठ्यक्रम खोलने की प्रक्रिया—

1. उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट www.upsmfac.org पर आन-लाईन फार्म उपलब्ध है। आवेदन पत्र को भरने के निर्देश एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम से संबंधित मानक भी कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कृपया निर्देशों एवं मानकों का अध्ययन विस्तार से करें। ये न्यूनतम मानक हैं, इनकी उपलब्धता अनिवार्य है।
2. आन-लाईन भरा हुआ आवेदन पत्र सभी संलग्नकों सहित प्राप्त हो जाने चाहिए। आवेदन पत्र पूर्ण से भरे हुए होने चाहिए एवं उसमें विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज एवं फोटो भी लगे होने चाहिए।

(i) ₹ 2,50,000/- (18% GST के साथ) आवेदन-पत्र/रजिस्ट्रेशन/निरीक्षण शुल्क आन-लाईन www.upsmfac.org पर आवेदन-पत्र भरने के समय देय होगा।

(ii) राजकीय कोषागार में हेड संख्या **0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 800 अन्य प्रप्तियाँ** में ₹0 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) जमा कर रसीद की फोटो प्रति फैकल्टी में आवेदन-पत्र के साथ जमा करें।

विशेष: संस्थाओं को स्टेट मेडिकल फैकल्टी में प्रति प्रशिक्षण ₹0 2,50,000/- (18% GST के साथ) जमा करना है। इस राशि का 10 प्रतिशत अर्थात् ₹. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना है।

4. आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा नामित समिति द्वारा निरीक्षण होनेके उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी जिस पर माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी द्वारा विचारोपरान्त संस्तुतियों पर का अनुमोदन प्राप्त किया

जायेगा, तत्पश्चात् शासन द्वारा अनापत्ति (अनिवार्यता प्रमाण-पत्र) जारी की जायेगी। इस अनापत्ति के साथ उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संस्था को सूचित किया जायेगा।

5. शासन की अनापत्ति एवं उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सूचना प्राप्त होने के बाद संस्थाओं से अपेक्षित है कि मानकों के अनुसार व्यवस्था कर नर्सिंग एवं फार्मसी पाठ्यक्रमों से संबंधित केन्द्रीय कौंसिलों (1) इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, फार्मसी, (2) फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया, संयुक्त काउंसिल बिल्डिंग, एवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेम्पल लेन, माता सुन्दरी कालेज के सामने, नई दिल्ली तथा में आवेदन करें।
6. अन्य पाठ्यक्रमों हेतु उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आवेदन के समय इंगित मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराने के उपरान्त शासनादेश प्राप्त होने के पश्चात् लेटर ऑफ कन्सेन्ट के लिए आवेदन करें। सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा शासी समिति के अनुमोदनोपरान्त गठित समितियों से आपकी संस्था का पुनः निरीक्षण कराया जायेगा एवं निरीक्षण संबंधी आख्या को शासी समिति में रखकर संस्तुतिओं को उ0प्र0 शासन को पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजा जायेगा। निरीक्षणों में यदि कोई कमो पायी जायेगी तो उसे संस्था को इंगित किया जायेगा एवं अग्रिम कार्यवाही तात्कालिक रूप से रोक दी जायेगी। संस्थाओं द्वारा कमियों की पूर्ति होने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त पुनः निरीक्षण कराया जायेगा।
7. पाठ्यक्रम खोलने संबंधी समस्त जानकारियाँ एवं समस्याओं का निराकरण करने हेतु **सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी** से व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके दूरभाष नं0 0522-2238846/2235965 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
8. उपरोक्त प्रक्रिया उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित है, इसमें उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल द्वारा संचालित डिग्री प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रारम्भ करने हेतु प्रक्रियायें—

आवेदन करने के पूर्व आन-लाईन प्रास्पेक्टस का अध्ययन करें।

आवेदन पत्र आन-लाईन www.upsmfac.org पर उपलब्ध है।
पंजीकरण एवं निरीक्षण शुल्क ₹ 2,50,000 /- (18% GST के साथ)
(₹ 2,50,000 /- (18% GST के साथ) का शुल्क आन लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

साथ ही राजकीय कोषागार में रु.25,000 /- (हेड संख्या 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 800 अन्य प्राप्तियाँ में जमा कर रसीद की प्रति के साथ आवेदन पत्र जमा करेगी।

आवेदन-पत्र की जाँचोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर शासन द्वारा नामित समिति से निरीक्षण (प्रथम)

निरीक्षण आख्या शासी समिति के सम्मुख विचारार्थ

शासी समिति से अनुमोदित आख्याओं को सचिव, चिकित्सा शिक्षा को अग्रसारित

उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मा0 मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा अध्यक्षता की इम्पावर्ड समिति के अनुमोदनोपरान्त अनिवार्यता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना।

संस्थाओं को अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर लेटर आफ कन्सेन्ट फकल्टी द्वारा जारी करना।

क्षेत्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करें।

संस्था लेटर आफ कन्सेन्ट के साथ संबंधित कौंसिलों में आवेदन करेगी। इसी के साथ संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता (Affiliation Letter) भी जमा करें।

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी शासी समिति द्वारा नियुक्त समिति द्वारा द्वितीय निरीक्षण उपयुक्त पाये जाने पर शासन को अनुमति हेतु संदर्भन।

स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी में रु0 30,000 /- प्रति सत्र प्रतिवर्ष निरन्तरता शुल्क प्रति पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष जमा करना होगा।

समस्त शुल्क नान रिफन्डेबल हैं।

पैरामेडिकल क्षेत्र में डिग्री कोर्सेज खोलने हेतु सामान्य मानक

(विशिष्ट आवश्यकतायें अलग से दिये जा रहे हैं)

विशेष : उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा शासनादेश संख्या 4447/71-3-05/141/96/05 दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 एवं संख्या:-217/71-3-08-141/96 दिनांक 23 जनवरी, 2008 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी

अर्ह आवेदक :-

विधि मान्य संस्था/सोसाइटी/एन.जी.ओ./ट्रस्ट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। समस्त परिसम्पत्तियां सम्बन्धित संस्था/एन.जी.ओ./सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम होनी चाहिये।

प्रशिक्षण केन्द्र का स्टेटस :-

शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त/एन.जी.ओ. जैसा कि पूर्व में निर्दिष्ट किया जा चुका है कि संस्था की वैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है जैसे कि संस्था/सोसाइटी का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा इण्डियन ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत होना चाहिए। **व्यक्ति अथवा गैर पंजीकृत संस्थाओं के आवेदन पत्र पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।** यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि **अस्पताल एवं प्रशिक्षण केन्द्र दोनों ही एक ही संस्था के अन्तर्गत स्वामित्व एवं प्रबन्धन में होना अनिवार्य है।** इस संबंध में दस्तावेज सहित मेमोरेन्डम आफ आर्टिकिल एवं ट्रस्टडीड की फोटो प्रतियाँ उपलब्ध करायें। इस बात का भी साक्ष्य दें कि प्रशिक्षण केन्द्र एवं अस्पताल आवेदक संस्था के नाम से ही रहे। शासकीय चिकित्सालयों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

मानक -

भौतिक सुविधायें :-

| भूमि | भवन | अस्पताल |
|---|--|---|
| - नगरीय क्षेत्र में एक एकड़ अथवा 4000 वर्ग मीटर अथवा 43040 वर्ग फुट | प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर/10760 वर्गफिट (प्रत्येक अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु 200 वर्ग मीटर/2152 वर्गफिट का अतिरिक्त भवन हो)। नर्सिंग व फार्मसी के मानक संबंधित काउंसिल के होंगे। | 100 बिस्तरों का अस्पताल प्रशिक्षण भवन एवं अस्पताल दानों एक ही आवेदक के नाम हों। |
| - ग्रामीण क्षेत्र में दो एकड़ अथवा 8000 वर्ग मीटर अथवा 86080 वर्ग फुट | | |
| - आवेदक के नाम पर हो। | | |
| - इसी भूमि पर प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित हो। | | |

भवन – प्रशिक्षण केन्द्र :

| क्षेत्र | निर्मित क्षेत्र |
|---|------------------------------|
| प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र (प्रत्येक अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु 2000 वर्गफुट का अतिरिक्त भवन हो) | 10760 वर्ग फुट |
| प्रशासनिक क्षेत्र | 1500 वर्ग फुट |
| (i) प्राचार्य कक्ष (सुसज्जित) | 300 वर्ग फुट |
| (ii) मुख्य कार्यालय (लिपिक आदि हेतु) | 300 वर्ग फुट |
| (iii) रिसेप्शन कक्ष (आगन्तुकों के लिए बैठने का स्थान सहित) | 200 वर्ग फुट |
| (iv) जन सुविधायें | 200 वर्ग फुट |
| (v) अन्य | 500 वर्ग फुट |
| पठन-पाठन क्षेत्र | 4000 वर्ग फुट |
| (i) कक्षा (4 कक्षा) | 4 x 600 वर्ग फुट |
| (ii) डिमान्सट्रेशन कक्ष | 2 x 300 वर्ग फुट |
| (iii) प्रयोगशालाएं | 2 x 500 वर्ग फुट |
| लाइब्रेरी –20 (छात्रों के बैठने की सुविधा सहित) | 600 वर्ग फुट |
| कम्प्यूटर कम अडिया-वीडियो, इन्टरनेट, फोटोकापियर के साथ | 300 वर्ग फुट |
| व्याख्यान कक्ष | 300 वर्ग फुट |
| कामन रूम (महिला) | 200 वर्ग फुट |
| कामन रूम (पुरुष) | 200 वर्ग फुट |
| जनसुविधायें (महिला/पुरुष) अलग अलग | 200 वर्ग फुट |
| भंडार कक्ष/ गोपनीय कक्ष | 200 वर्ग फुट |
| अडिटोरियम/ मल्टीपरपज हाल | 2000 वर्ग फुट |
| म्यूजियम | 500 वर्ग फुट |
| विद्युत व्यवस्था – विद्युत कनेक्शन जनरेटर | 20 के. वी. ए 10 के. वी. ए |
| पेयजल/ वाटर कूलर | 2 |
| टेलीफोन (पी.सी.ओ.) | |
| वाहन स्टैण्ड | |
| कैन्टीन/कैफेटेरिया – स्वयं को या Sublet हो। | |

आप्टोमेट्री से सम्बन्धित सुविधायें (प्रशिक्षण केन्द्र में) (शेष अस्पताल में अलग होगी)
 :-

| क्रम सं. | सुविधा | क्षेत्रफल |
|----------|-----------------------------|---------------|
| | कुल क्षेत्रफल | 2000 वर्ग फुट |
| | – रोगियो के बैठने की सुविधा | |
| | – शौचालय | |
| | – पानी की व्यवस्था | |
| | – पंखे/कूलर की व्यवस्था | |
| | – रिफ्रैक्शन कक्ष | |
| | – नेत्र की एक्सरसाइज कक्ष | |
| | – फ्रेम, चश्में की सुविधा | |
| | – प्रायोगिक शिक्षण कक्ष | |
| | अन्य | 300 वर्ग फुट |

आप्टोमेट्री (आपथल्मोलोजी विभाग (नेत्र रोग विभाग) लगभग 1500 वर्गफुट में हो):-

| क्रम सं. | सुविधाएं | |
|----------|---|---|
| 1. | ओ.पी.डी. मरीजों के बैठने की सुविधाएं, समुचित हवा पानी का प्रबन्धन हो | |
| 2. | नेत्र रोगियों को आपरेशन के उपरान्त भर्ती करने की व्यवस्था हो | |
| 3. | आपरेशन थियेटर मेजर (फर्निशड) | 1 |
| 4. | आपरेशन थियेटर माइनर (फर्निशड) | 1 |
| 5. | रिफ्रैक्शन कक्ष | 1 |
| 6. | आँख की फंडल जांच कक्ष | 1 |
| 7. | लेजर/फेको आदि की व्यवस्था | |
| 8. | चश्मा वितरण/दवा वितरण कक्ष | 1 |
| 9. | शिक्षण कक्ष | 1 |
| 10. | इमरजेन्सी चिकित्सा कक्ष | 1 |
| 11. | आई बैंक एवं किरेटोप्लास्टी की सुविधायें – यदि सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलती है तो आई बैंक उत्तम होगा। | |
| 12. | गाँवों में कैम्प करने के साथ मोबाइल बैन की व्यवस्था हों लेकिन सक्षम अधिकारी की अनुमति हो। | |
| 13. | लेजर की सुविधा हो। | |
| 14. | कान्टेक्ट लेन्स की सुविधायें हों। | |
| 15. | आई.ओ. एल/फेको की सुविधा हो। | |
| 16. | आर्थाप्टिक्स विभाग से संबंधित समस्त सुविधायें हों। | |
| 17. | चश्मा घर – चश्मों की व्यवस्था हो। चश्मों बनाने एवं बेचने की व्यवस्था हो। | |

Major Operation theatre

| | |
|----------------------------------|---|
| Operation microscope With T.V | 1 |
| Cryo unit | 1 |
| Cataract set | 5 |
| Glaucoma set | 2 |
| DCR set | 2 |
| Entropian set | 2 |
| Evisceration set | 2 |
| Squint correction setset | 2 |
| General Ophthalmic equipment | |
| Operation theater Table | |
| O.T.lights | |
| | |

Minor O.T

Should have the equipment for removal of foreign body, sutures & chalzion or styte.

| |
|--|
| Slit lamp |
| Snellen chart/drum with/without remote |
| Trial set with trial frames |
| Bjerrum Screen |
| Perimeter |
| Colour vision chart |
| Near vision chart with different languages |
| 3 cell torch |
| Ophthalmoscope & retinoscope |

लाइब्रेरी

पुस्तकें

- 1— विषय विशेष की पुस्तकें – 4 सेट में हो।
- 2— अन्य सम्बन्धित पुस्तकें – 2 सेट में हो।
- 3— जर्नल, न्यूजपेपर आदि – पर्याप्त संख्या में हो।

वित्तीय संसाधन –

| | |
|---------------------------------|---|
| वित्तीय स्थिति | वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ हो कि संस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारु रूप से चला सके। |
| डिपाजिट | रु. 20 (बीस) लाख संस्था के नाम हो। |
| बैलेन्स शीट | दो वर्ष की संलग्न करें। आय का रिटर्न्स भी दें। |
| बैंक एकाउंट्स | दो वर्ष का स्टेटमेन्ट दें। |
| स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य | परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य लिखें। |
| अस्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य | परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य लिखें। |

कैम्पस –

अस्पताल एवं प्रशिक्षण केन्द्र एक ही कैम्पस में हो तो बेहतर है। यदि अलग-अलग हो तो एक ही मालियत में हो और उनके बीच की दूरी **5 कि.मी.** से अधिक न हो।

आस-पास का विकास –

सेन्टर के आस-पास का वातावरण ग्रहणीय हो, बहुत शोर-गुल न हो। वातावरण/पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।

खेल मैदान/जिम्नेजियम –

अनिवार्य नहीं है, हो तो उचित होगा।

आवागमन–

सार्वजनिक यातायात/आवागमन के समुचित साधन हो।

हास्टल –

पैरामेडिकल प्रशिक्षण में हास्टल अनिवार्य नहीं है। यदि उपलब्ध कराया जाता है तो छात्र हित में होगा। लेकिन नर्सिंग के लिये अनिवार्य है।

फैकल्टी – सामान्य रूप से दिये जा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग कौंसिल व AICTE तथा विश्वविद्यालयों के मानक अंतिम होंगे।

टीचिंग फैकल्टी – 40 छात्रों की भर्ती क्षमता तक के लिये।

| क्र. सं. | फैकल्टी | योग्यता | संख्या |
|----------|----------------|--|----------|
| 1. | प्राचार्य | एम.बी.बी.एस. या एम.एस./एम.डी .चिकित्सक | 1 |
| 2. | वरिष्ठ शिक्षक | एम.बी.बी.एस. या एम.एस./एम.डी .चिकित्सक या पैरामेडिकल विषय विशेष में पोस्ट-ग्रेजुएट | 1 |
| 3. | डिमान्स्ट्रेटर | पैरामेडिकल डिग्रीधारक | 2 |
| | | कुल | 4 |

फैकल्टी—

प्रशासनिक

| क्र.सं. | फैकल्टी | संख्या |
|---------|---------------------------|----------|
| 1. | क्लर्क कम अकाउंटेंट | 1 |
| 2. | कम्प्यूटर आपरेटर | 1 |
| 3. | लाइब्रेरियन/स्टोर इंचार्ज | 1 |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी | 2 |
| 5. | सफाई कर्मचारी | 2 |
| | कुल | 7 |

पठन—पाठन सामग्री —

सिलेबस के अनुसार सभी विषयों से संबंधित चार्ट अथवा फाइबर के माडल, आडियोविडियो प्रदर्शन की व्यवस्था एवं सी0डी0 आदि की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराये जाये। एनाटमी जैसे विषय आडियो—वीडियो तकनीक से ही पढ़ाये जायेंगे।

अस्पताल के भवन से संबंधित विवरण :-

प्रशिक्षण केन्द्र से दूरी — 5 कि.मी. के अन्दर हो। भवन के अन्दर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं हों।

अस्पताल भवन

100 बिस्तरों का एक ही अस्पताल हो व सुसज्जित अस्पताल में हर तरह के मरीज आते हों।

भर्ती दर

आकुपेन्सी दर 75 प्रतिशत अवश्य हो।

क्लीनिकल सुविधायें –

कृपया संस्था के अस्पताल के बारे में विस्तार से लिखे यहाँ यह पुनः स्पष्ट करना आवश्यक है कि अस्पताल आवेदक संस्था के नाम से ही होना चाहिए। सामान्यतः अस्पताल में सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए। अस्पताल कम से कम 100 बिस्तरों का होना चाहिए और यह अस्पताल प्रशिक्षण केन्द्र कैम्पस अथवा उनके निकट होना चाहिए। 100 बिस्तरों का अस्पताल एक ही विशेषता का हो सकता है या अनेकों विशेषज्ञताओं का भी हो सकता है। कुछ विषयों में प्रथमदृष्टया विस्तरों की आवश्यकता न हो लेकिन सभी पाठ्यक्रमों में भर्ती मरीज से संबंधित किसी न किसी जाँच, इलाज अथवा अन्य किसी कारण से पाठ्यक्रम को पढ़ाने में सहायता मिलती है। उचित होगा कि विस्तरों का विभाजन इस तरह से हो कि मेडिसिन, सर्जरी, आब्स गाइनी एवं इमरजेन्सी का उचित प्रतिनिधित्व हो। कृपया बिस्तरों का विभाजन स्पष्ट रूप से लिखें।

1— विभिन्न क्षेत्रों में बिस्तरों का विभाजन :

| | | |
|----|------------|----|
| 1. | मेडिकल | 25 |
| 2. | सर्जिकल | 25 |
| 3. | आब्स गायनी | 20 |
| 4. | बाल विभाग | 10 |
| 5. | अस्थि रोग | 05 |
| 6. | इमरजेन्सी | 05 |
| 7. | अन्य | 10 |

2— अस्पताल के इन्डोर में भर्ती दर – 75% हो।

3— अन्य क्लीनिकल विभाग :

- आपरेशन थियेटर – मुख्य
- आपरेशन थियेटर – माइनर
- दन्त चिकित्सा इकाई
- नेत्र रोग विभाग
- नाक, कान एवं गला विभाग
- बर्न्स विभाग
- बाल रोग चिकित्सक
- हृदय रोग चिकित्सक
- आकस्मिक सेवाएं

1. अस्पताल के भवन का नक्शा संलग्न करते हुए विस्तृत रूप से वर्णन करें। अस्पताल का भवन कम से कम 10,000 वर्गफुट का हो।
2. अस्पताल के चारों ओर पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाये
3. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. जल व्यवस्था ऐसी हो कि 24 घंटे आपूर्ति हो।
5. विद्युत की अबाध आपूर्ति का इन्तजाम हो, जेनरेटर अवश्य होना चाहिए।
6. समस्त विभाग एक दूसरे से टेलीफोन से जुड़े हों।
7. सीवेज कनेक्शन अच्छा हो।
8. कैफीटीरिया या कैन्टीन की व्यवस्था पर्याप्त रूप से हो। इसका प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र के छात्र भी कर सकते हैं।
9. लाइब्रेरी की व्यवस्था।
10. अस्ताल की इमरजेन्सी।
11. प्रत्येक विषय से संबंधित क्षेत्रों में।

अस्पताल भवन से सम्बन्धित विवरण –

| | |
|---|--|
| अस्पताल भवन | |
| रिसेप्शन | मरीजों व सहायकों के बैठने की उचित सुविधायें। |
| ओपीडी | 80 मरीज प्रतिदिन / एकल में 30 मरीज प्रतिदिन |
| अंतः रोगी कक्ष | बेड की संख्या लिखें |
| बेड आकुपेन्सी / वर्ष | साल में उपलब्ध शय्याओं (Beds) के सापेक्ष 75% मरीज भर्ती होते हो। |
| आपरेशन थियेटर | |
| मेजर | 1 उपलब्ध हो। सभी महत्वपूर्ण जनरल सर्जरी के लिये पर्याप्त हो। |
| माइनर | 2 |
| स्टरलाइजेशन कक्ष | 1 |
| आकस्मिक चिकित्सा / सुविधायें | सुसज्जित हो, सुलभ हो तथा आसानी से प्राप्त हो। |
| इमरजेन्सी कक्ष | सुसज्जित हो |
| एक्स-रे सुविधा | उपलब्ध कराई जा सकती हैं |
| क्लीनिकल लेबोरेटरी | उपलब्ध हो |
| जन्सुविधाएं (शौचालय) | उपलब्ध हो |
| बिस्तर | उपलब्ध हो |
| फायर फाइटिंग इक्यूपमेन्ट | उपलब्ध हो |
| पेयजल | उपलब्ध हो, पेयजल व अन्य कार्य हेतु। |
| प्रशिक्षण केन्द्र से दूरी | 5 कि.मी. से ज्यादा न हो। |
| बहुविशेषज्ञता का अस्पताल है या एक विशेषज्ञता का | |

अस्पताल का स्टाफ

1. अस्पताल के प्रबन्धन के लिये प्रबन्धक हों।
2. प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ हों। इनके द्वारा प्रशिक्षार्थियों को पढ़ाया भी जा सकता है।
3. पैरामेडिकल कर्मी प्रशिक्षित व मान्यता प्राप्त शिक्षा प्राप्त हो।
4. नर्सिंग कार्मिक चतुर्थ श्रेणी, ड्राइवर पर्याप्त संख्या में हों।
5. अस्पताल में एम्बुलेन्स की व्यवस्था हो।

पंजीकरण :-

इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट-1916 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं इटर्नशिप के बाद प्रशिक्षणार्थियों को स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

एक विषय में प्रशिक्षण केन्द्र :-

यदि किसी के पास एकल विशेषज्ञता का अस्पताल है व उस विशेषता में प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है तो उस विशेषज्ञता में आधुनिकतम सुविधाएं वांछित हैं। कुछ विषयों में विस्तरों (भर्ती कर इलाज) की आवश्यकता आधुनिक परिवेश में नहीं होती किन्तु फिर भी इमरजेन्सी व day care के लिये इंडोर की आवश्यकता होती है।

अनेकों विषयों में प्रशिक्षण केन्द्र :-

100 विस्तरों के विशेषज्ञता के अस्पताल की आवश्यकता है। साथ ही प्रशिक्षण, पठन-पाठन की सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लेकिन प्रशिक्षण भवन में प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु 2000 वर्गफुट की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।

छात्रों की संख्या :-

केन्द्र को 40 छात्र दिये जायेंगे। नर्सिंग/फामसी में 60 तक क्षमता अनुमन्य है।

रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर

नोटोराइज्ड

प्रोफार्मा (अस्पताल से सम्बद्धता हेतु) — अस्पताल के मुख्य कार्यकारी द्वारा संपादित किया जाय।

मैं (मुख्य कार्यकारी का नाम)
पता (अस्पताल का नाम व पता)

.....
का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ तथा यह एगोमेन्ट करने हेतु अधिकृत हूँ।

श्री (आवेदक का नाम)
संस्था का नाम ने

..... में से (कालेज का नाम)
(कोर्स का नाम) में चलाने हेतु उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आवेदन किया है। उनके पास स्वयं के स्वामित्व का प्रशिक्षण केन्द्र है, किन्तु वर्तमान में क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु अस्पताल नहीं है। मेरा (अस्पताल) बेड का है।

मेरे यहाँ अन्य कोई प्रशिक्षण नहीं चल रहा है। मैं इन्हें, इनके केन्द्र में पढ़ने वाले छात्रों की प्रेक्टिकल/क्लीनिकल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपने अस्पताल का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

(यह एग्रीमेन्ट अगले पांच वर्षों के लिए मान्य होगा। तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार पुनः एग्रीमेन्ट कराया जा सकेगा।)

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

.....
कार्यकारी के हस्ताक्षर

नोटोराइज्ड

अति महत्वपूर्ण :-

कृपया ध्यान रहे कि सूचनाएं वही भरी जानी चाहिए जो वास्तव में सत्य हैं। निरीक्षण के समय इन्हीं का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

प्रशासनिक विभाग के लिये उपस्कर –

| S.No. | Name of the Equipment |
|-------|---|
| 1 | Computer with Modem with UPS, Printer with Internet Connection |
| 2 | Xerox Machine |
| 3 | Typewriter |
| 4 | Intercom |
| 5 | Fax Machine |
| 6 | Telephone |
| 7 | Public Address System |

शिक्षण हेतु उपस्कर–

| S.No. | Name of the Equipment |
|-------|--|
| 1 | Furniture for class room, committee/meeting room |
| 2 | O.H.P. |
| 3 | Screen |
| 4 | White/Colour boards |
| 5 | Television colour |
| 6 | VCD Player |
| 7 | Radio |
| 8 | LCD Projectors |
| 10 | Computer |

सामान्य फर्नीचर –

| S.No. | Name of the Equipment |
|-------|--|
| 1 | Doctor's chair for OP Ward, Blood Bank, Lab etc. |
| 2 | Doctor's Table |
| 3 | Duty Table for Nurses |
| 4 | Table for Sterilisation use (medium) |
| 5 | Long Benches(6 1/2' x 1 1/2') |
| 6 | Stool Wooden |
| 7 | Stools Revolving |
| 8 | Steel Cup-board |
| 9 | Wooden Cup Board |
| 10 | Racks -Steel – Wooden |
| 11 | Patients Waiting Chairs {Moulded} |
| 12 | Attendants Cots |
| 13 | Office Chairs |
| 14 | Office Table |

| | |
|----|--------------------------------------|
| 15 | Footstools |
| 16 | Filing Cabinets (for records) |
| 17 | M.R.D.Requirements (record room use) |
| 18 | Paediatric cots with railings |
| 19 | Cradle |
| 20 | Fowler's cot |
| 21 | Ortho Fracture Table |
| 22 | Hospital Cots (ISI Model) |
| 23 | Back rest |
| 24 | Dressing Trolley (SS) |
| 25 | Medicine Almairah |
| 26 | Bin racks (wooden or steel) |
| 27 | ICCU Cots |
| 28 | Bed Side Screen (SS-Godrej Model) |
| 29 | Medicine Trolley(SS) |
| 30 | Case Sheet Holders with clip(S.S.) |
| 31 | Bed Side Lockers (SS) |
| 32 | Examination Couch (SS) |
| 33 | Instrument Trolley (SS) |
| 34 | Instrument Trolley Mayos (SS) |
| 35 | Surgical Bin Assorted |
| 36 | Wheel Chair (SS) |
| 37 | Stretcher / Patience Trolley (SS) |
| 38 | Instrument Tray (SS) Assorted |
| 39 | Kidney Tray (SS) – Assorted |
| 40 | Basin Assorted (SS) |
| 41 | Basin Stand Assorted (SS) |
| | (2 basin type) |
| | (1 basin type) |
| 42 | Delivery Table (SS Full) |
| 43 | Blood Donar Table |
| 44 | 02 Cylinder Trolley(SS) |
| 45 | Saline Stand (SS) |
| 46 | Waste Bucket (SS) |
| 47 | Dispensing Table Wooden |
| 48 | Bed Pan (SS) |
| 49 | Urinal Male and Female |
| 50 | Name Board for cubicals |
| 51 | Kitchen Utensils |
| 52 | Containers for kitchen |
| 53 | Plate, Tumblers |
| 54 | Waste Disposal - Bin / drums |
| 55 | Waste Disposal - Trolley (SS) |
| 56 | Linen Almairah |
| 57 | Stores Almairah |

| | |
|----|--|
| 58 | Arm Board Adult |
| 59 | Arm Board Child |
| 60 | SS Bucket with Lid |
| 61 | Bucket Plastic |
| 62 | Ambu bags |
| 63 | O ₂ Cylinder with spanner ward type |
| 64 | Diet trolley - stainless steel |
| 65 | Needle cutter and melter |
| 66 | Thermometer clinical |
| | Thermometer Rectal |
| 67 | Torch light |
| 68 | Cheatles forceps assorted |
| 69 | Stomach wash equipment |
| 70 | Infra Red lamp |
| 71 | Wax bath |
| 72 | Emergency Resuscitation Kit-Adult |
| 73 | Enema Set |

सामान्य पुस्तकें –

| | | |
|----|-------------|---|
| 1 | Ajmani | Embalming: Principles and Legal Aspects, 1/e |
| 2 | Gandotra | Gross Anatomy workbook, 1/e |
| 3 | Jain | General Anatomy for Students, 2/e |
| 4 | Kapur | Ess. Of Surface & Radiological anatomy, 2/e |
| 5 | Kant | Embryology for Medical Students |
| 6 | Singh | Essentila of Anatomy, (all in four colour) 1/e, 2002 |
| 7 | Singh | A TB of Human Osteology, 2/e, 2002 |
| 8 | Feneis | Pocket Atlas of Human Anatomy |
| 9 | Panda | Concise Pocket Medical Dictionary, 1/e |
| 10 | Panda | Jaypee's Dental Dictionary, 1/e |
| 11 | Panda | Jaypee's Nurses' Dictionary, 1/e |
| 12 | Rikh | Pocket Medical English Hindi Dictionary, 14/e, 1/e Ind. |
| 13 | Dorland | Dorland dictionary, 29/e 2000 |
| 14 | Dorland | Dorland's Pocket Medical Dictionary, 26/e, 2001 |
| 15 | Bijlani | Understanding Medical Physiology, 3/e, 2002 |
| 16 | Ratan | Handbook of Human Physiology, 7/e |
| 17 | Despopoulos | Color Atlas of Physiology, (Sp. Price) |
| 18 | Mahajan | Methods in Biostatistics, 6/e |
| 19 | Prabhakaran | Biostatistics , 1/e,2002 |
| 20 | Rao | Biostatistics: The Manual of Statistical Methods for use in Health & Nutrition, 1/e |
| 21 | Singh | Elementary Statistics for Medical Workers, 1/e |
| 22 | Dave | Emergency Medical Services & Disaster Management, 1/e, 2001 |
| 23 | Dogra | aids to Clinical Medicine |
| 24 | Garg | Synopsis of AIDS, 2/e |
| 25 | Gupta | Manual of Medical Emergencie, 2/e |

| | | |
|----|-------------|--|
| 26 | Krishna Das | TB of Medicine ,4/eVol.I,II,2002 |
| 27 | Mohaptra | Occupation, Health Hazards and Remedies |
| 28 | Mogli | Medical Records Organization and Management |
| 29 | Prasad | TB of Medicine (Hindi) |
| 30 | Suratt | Manual of Medical Procedures,1/e Ind. |
| 31 | Nambi | Psychiatry for Nurses ,1/e |
| 32 | Ray | Yogic Exercises :Physiologic and Psychic Processes 1/e |
| 33 | Bhatia | Rabies the Killer Disease,1/e |
| 34 | Chaube | Consumer Protection and The Medical Profession |
| 35 | Francis | Medical Ethics 1/e |
| 36 | Greenberg | The Birth of a Father 1/eInd. |
| 37 | Gupta | Addiction 1/e |
| 38 | Gupta | Manual of First Aid 2/e Hindi |
| 39 | Gupta | Manual of First Aid: Manag. of General Injuries, Sports Injuries & Common ailments 5/e |
| 40 | Gupta | Outline of Sports medicine 2/e |
| 41 | Jaiswal | Consumer Protection act and The Medical Practitioners 1/e |
| 42 | Meador | A Little Book of Doctors' Rules 1/e 1/e Ind |
| 43 | Mogli | Medical Records Organization and Mangement |
| 44 | Moss | Health Manual A Self Help Guide 1/e Ind |
| 45 | Nayyar | Tell Me About Me : The Living Machine-Basic human Anat. 1/e |
| 46 | Panda | Handbook for Medical Representatives 1/e |
| 47 | Prakash | Medical Adult |
| 48 | Singhals | Medical Ethics |
| 49 | Urs | Networking Organisation of Health Science Laboratories |
| 50 | Bijlani | Nutrition: A Practical Approach 1/e |
| 51 | Chandra | Poshan& Swastha,1/e (Hindi) |
| 52 | Ghosh | Nutrition and Child care: A Practical Guide 1/e (Hindi) |
| 53 | Gupta | Food & Nutrition: Facts and Figures 5/e |
| 54 | Indrani | Ess. of Nutrition and Therapeutic Diet (2 Vols) |
| 55 | Mazumdar | Essentials of Human Nutrition |
| 56 | Salins | Nutrition Guide 1/e |
| 57 | Virk | Lecture notes in Nutrition |
| 58 | Boyle | Personal Nutrition 4/e 2001 |
| 59 | Mahan | Krauses Food, Nutrition and Diet Therapy 10/e |
| 60 | Way | Nutrition Secrets 1/e 1/e Ind |
| 61 | WHO | Guidelines for training Community Health Workers in Nutri. |
| 62 | WHO | Nutrition Learning Packages 1/e Ind |
| 63 | Williams | Basic Nutrition and Diet Therapy11/e |

पुस्तकों की सूची –

| | | |
|----|----------------|--|
| 1 | Agarwal | Phacoemulsification, Laser Cataract Surgery & Foldable IOLs,2/e |
| 2 | Agarwal | Short and Long Cases in Ophthalmology 1/e |
| 3 | Agarwal | TB of Ophthalmology (4 Vols),1/e2002 |
| 4 | Agarwal | Ophthalmology for Undergraduates Students 1/e |
| 5 | Ahuja | Eye Banking and Keratoplasty 1/e |
| 6 | Azad | A Practical Manual of Indirect Ophthalmology |
| 7 | Azad | Current Concepts in Ophthalmic Lasers |
| 8 | Dada | Contact Lenses 4/e |
| 9 | Dada | Fun with PHACO 1/e |
| 10 | Dada | Handbook of LASIK Surgery |
| 12 | Davies | Secrets of Phacoemulsification 2001 |
| 13 | Dutta | Clinical Methods in Ophthalmology 2/e 2000 |
| 14 | Dutta | Modern Ophthalmology (2 Vol)2/e |
| 15 | Garg | Current trends in Ophthalmology 1/e |
| 16 | Garg | Manual of Ocular Therapeutics 1/e |
| 17 | Pattnaik | Laser in Ophthalmology : Principles and Techniques 1/e |
| 18 | Singhal | Principles and Practice of Refraction Optics 1/e |
| 19 | Singh | Cataract and IOL (Text and Colour Atlas) |
| 20 | Srinivasan | Complications of IOL Implantation 1/e |
| 21 | Vajpayee | Corneal Transplantation |
| 22 | Abrams | Duke- Elder's: Practice of Refraction 10/e (Or Pr. £ 53) |
| 23 | Acad. of Ophth | Strabismus& Pediatric Ophthalmology |
| 24 | Alpar | Intraocular Lenses |
| 25 | Apple | Foldable Intraocular Lenses |
| 26 | Appleton | Clinical Optics |
| 27 | Bahadur | Manual of Cataract Surgery2/e 2000 |
| 28 | Chawla | Ophthalmology : A Symptom Based Approach 3/e |
| 29 | Chern | Ophthalmology Review Manual |
| 30 | Cinotti | Handbook of Ophthalmic Emergencies |
| 31 | Hunter | Last Minute Optics: A Concise Review of Optics, Refraction and Contact Lenses 1/e 1/e Ind. |
| 32 | North | Work and the Eye 2/e 2001 |
| 33 | Parson's | Diseases of the Eye (Or. Pr. £47.50 |
| 34 | Ragge | Immediate Eye care |
| 35 | Rakow | Contact Lenses |
| 36 | Rowe | Clinical Orthoptics |
| 37 | WHO | Management Of Cataract in Primary Health Care Services |
| 38 | Williams | Ophthalmic Surgical Assisting |

LIST OF INSTRUMENTS

For Eye O.P.D.

| S.No. | NAME OF EQUIPMENTS | QUANTITY |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Snellen's chart (Drum) | 2 |
| 2. | Auto refracto meter | 1 |
| 3. | Kerato meter | 1 |
| 4. | Slit lamp | 1 |
| 5. | Trial box (with accessories)(Big) | 2 |
| 6. | Trial frame (small) | 3 |
| 7. | Near vision chart | 1 |
| 8. | Lenso meter | 1 |
| 9. | Maddox wing | 1 |
| 10. | Maddox rod | 1 |
| 11. | Prism bar Horizontal | 1 |
| 12. | Prism bar Vertical | 1 |
| 13. | Model of eye (for retinoscopy) | 1 |
| 14. | Streak retinoscope | 2 |
| 15. | Ishihara's chart | 1 |
| 18. | Torch | 2+1 |
| 19. | B.P Instrument (Vertical) | 1 |
| 20. | Trolley | 1 |
| 21. | Drum | 1 |
| 22. | Tray (Instruments) | 1 |
| 23. | Boiler | 1 |
| 24. | Jackson's cross cylinder | 1 |
| 25. | Schiotz's Tonometer | 1 |
| 26. | Hanging Snellen's chart | 3 |
| 27. | Indirect ophthal moscope | 1 |
| 28. | Goldmann 3 mirror gonioscope | 1 |
| 29. | Synaptophore | 1 |
| 30. | Fridge | 1 |
| 32. | Couch | 1 |
| 33. | B.P. Instrument Horizontal | 1 |

Mechanical Optics Work Shop

| | | |
|-----|----------------------|----------|
| 1. | Sph. surface | 2 |
| 2. | Cyl. surface | 2 |
| 3. | Cyl. surface | 2 |
| 4. | Cyl. tools | 16 pe. |
| 5. | Sph. tools | 18 pe. |
| 6. | Sph. cots. | ± 24 pe. |
| 7. | Cyl. Cots. | ± 24 pe. |
| 8. | Gauze | 41 pe. |
| 9. | 1 Beg | 180 |
| 10. | 1 Beg | 120 |
| 11. | Seal wax | 2 Kg. |
| 12. | Moter ½ H.P. | 4 pe. |
| 13. | Bowl | 6 |
| 14. | Heater | 1 |
| 15. | Tong | 1 |
| 16. | Bucket | 2 |
| 17. | MO2 powder | 1 pkt. |
| 18. | MO3 powder | 1 pkt. |
| 19. | Edging Machine | 1 |
| 20. | Glass Marking Pencil | 1 |
| 21. | Marker | 2 |
| 22. | A × 15 Chart | 1 |
| 23. | Movioil | ½ lt. |
| 24. | Lakh | 500 gm. |
| 25. | Bulb | 2 |

Othrt Instruments

| | | |
|-----|----------------------|----------|
| 1 | Sph. Glass blanks | 50 |
| 2. | Cyl. Glass blanks | 50 |
| 3. | Cyl. Tools | 16 pe. |
| 4. | Sph. Tools | 18pe. |
| 5. | Sph. Cots. | ± 24 pe. |
| 6. | Cyl. Cots. | ± 24 pe. |
| 7. | Gauge | 41 pe. |
| 9. | Seal wax | 2 Kg. |
| 10. | Moter ½ H.P. | 4 pe. |
| 11. | Bowl | 6 |
| 12. | Heater | 1 |
| 13. | Tong | 1 |
| 14. | Bucket | 2 |
| 15. | MO2 Powder | 1 pkt. |
| 16. | MO3 Powder | 1 pkt. |
| 17. | Edging Machine | 1 |
| 18. | Glass Marking Pencil | 1 |
| 19. | Marker | 2 |
| 20. | A X 15 Chart | 1 |

| | | |
|-----|-----------------|---------|
| 21. | Mobil - Oil | ½ Lt. |
| 22. | Lac | 500 gm. |
| 23. | Bulb | 2 |
| 24. | Opticians ruler | 1 |

INSTRUMENTS FOR ORTHOPTICS CLINIC

| | |
|-----|--|
| 1. | Synaptophore |
| 2. | Prism bar |
| 3. | Maddox wing |
| 4. | Maddox rod |
| 5. | Diplopia goggles |
| 6. | RAF rule |
| 7. | RAF near point rule |
| 8. | Hess or Lees's screen |
| 9. | Ramy's separator & bar reader |
| 10. | IPD ruler |
| 11. | Cheiroscope |
| 12. | Stereoscope |
| 13. | Diploscope |
| 14. | Stereograms |
| 15. | Visual acuity testing charts for children :- |
| 16. | Picture chart |
| 17. | Illiterate E – charts (separated) |
| 18. | Matching alphabet chart |
| 19. | Visuoscope |
| 20. | Maddox tangent scale |

INSTRUMENTS FOR ORTHOPTICS CLINIC

| | |
|-----|--|
| 1. | Synaptophore |
| 2. | Prism bar |
| 3. | Maddox wing |
| 4. | Maddox rod |
| 5. | Diplopia goggles |
| 6. | RAF rule |
| 7. | RAF near point rule |
| 8. | Hess or Lees's screen |
| 9. | Ramy's separator & bar reader |
| 10. | IPD ruler |
| 11. | Cheiroscope |
| 12. | Stereoscope |
| 13. | Diploscope |
| 14. | Stereograms |
| 15. | Visual acuity testing charts for children :- |
| 16. | Picture chart |
| 17. | Illiterate E – charts (separated) |
| 18. | Matching alphabet chart |
| 19. | Visuoscope |
| 20. | Maddox tangent scale |